रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 176] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 18, 2002/माघ 29, 1923
No. 176] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 18, 2002/MAGHA 29, 1923

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 2002

का. आ. 219(अ).— राष्ट्रपति द्वारा 16-1-2002 को किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है ।

आदेश

राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अधिसूचना (आदेश और अन्य लिखत) नियम, 1958 उन्हें, उन बातों के संबंध में जो विवाद, जिन्हें ऐसे अधिसूचना से पूर्व किया गया था या करने से लोप किया गया था, अधिसूचित करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम अधिसूचना (आदेश और अन्य लिखतें) नियम, 2002 है ।

2. ये पाठ्यक्रम में अपने प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । राष्ट्रपति की नाम में किए गए और निष्पादित किए गए सभी आदेश और अन्य लिखतें निम्नलिखित द्वारा अधिप्रमाणित की जाएंगी -

(1) भारत सरकार के सचिव, विशेष सचिव, अपर सचिव, संयुक्त सचिव, निदेशक, उप सचिव या अवर सचिव के हस्ताक्षर द्वारा ; या

(2) भारत सरकार (कार्य - आबंटन) नियम, 1961 की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट मंत्रालयों, विभागों, संबियालयों और कार्यालयों में किसी निदेशक या डेस्क अधिकारी के हस्ताक्षर द्वारा ; या

(3) वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियम, 1978 में यथा परिभाषित किसी विभागाध्यक्ष को, किसी संघ राज्य क्षेत्र में के विभागाध्यक्ष से भिन्न, हस्ताक्षर द्वारा ; या

(4) इन नियमों की अनुसूची के खंड 1 में विनिर्दिष्ट किसी विभाग, निदेशालय, आयोग, बोर्ड, कार्यालय या किसी संगठन से संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों की दशा में, उक्त अनुसूची के खंड 2 में विनिर्दिष्ट उस विभाग, निदेशालय, आयोग, बोर्ड, कार्यालय या संगठन के सामने विनिर्दिष्ट किसी अधिकारी द्वारा ; या

(ङ) राष्ट्रपति के सचिवालय के संबंधित आदेशों और अन्य निर्देशों की दशा में, राष्ट्रपति के सचिव, राष्ट्रपति के संयुक्त सचिव, राष्ट्रपति के उप सचिव, राष्ट्रपति के सचिवालय में के किसी निदेशक, उप सचिव या अवर सचिव द्वारा ; या

(छ) उपराष्ट्रपति के सचिवालय से संबंधित आदेशों और अन्य निर्देशों की दशा में, उपराष्ट्रपति सचिवालय में के सचिव, उपसचिव, अवर सचिव द्वारा ; या

(7) अन्य मंत्री के कार्यालय से संबंधित आदेशों और अन्य निर्देशों की दशा में, उस कार्यालय में के प्रमुख सचिव, सचिव, संयुक्त सचिव, निदेशक, विशेष कार्य अधिकारी, उपसचिव या अवर सचिव द्वारा ; या

(8) मंत्रिमंडल सचिवालय से संबंधित आदेशों और अन्य निर्देशों की दशा में, मंत्रिमंडल सचिव, सचिव (समन्वय), अवर सचिव, संयुक्त सचिव, निदेशक, उप सचिव, अवर सचिव या उप निदेशक (राजभाषा) द्वारा ; या

(9) कृषि मंत्रालय के कृषि और सहकारिता विभाग के उर्वरक खंड के संबंधित आदेशों और अन्य निर्देशों की दशा में, उस खंड में उपयुक्त (उर्वरक) द्वारा ; या

(10) जैव प्रौद्योगिकी विभाग से संबंधित संयुक्तियों की दशा में, उस विभाग में सलाहकार, निदेशक (वैज्ञानिक), प्रमुख वैज्ञानिक अधिकारी या जैव्य वैज्ञानिक अधिकारी श्रेणी - I द्वारा ; या

(11) रसायन और उर्वरक मंत्रालय के उर्वरक विभाग के संचालन और आयात खंड से संबंधित आदेशों और अन्य निर्देशों की दशा में, उस विभाग के उर्वरक खंड में उपयुक्त (रसायन संचालन और परियोजनाएं) तथा उपयुक्त (संचालन)द्वारा और उर्वरक विभाग के उर्वरक लेखा खंड के लेखा खंड में संबंधित आदेशों और अन्य निर्देशों की दशा में, उस खंड में लेखा उप निदेशक द्वारा ; या

(12) विदेश व्यापार महानिदेशालय के संबंधित आदेशों और अन्य निर्देशों की दशा में, महानिदेशक, विदेश व्यापार या अपर महानिदेशक, विदेश व्यापार या निर्यात अनुक्रम या संयुक्त महानिदेशक, विदेश व्यापार द्वारा ; या

(13) नीलामी कार्रवाई की अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट प्रपत्र संख्या 117 में अंतर्विष्ट रूप में संशोधन की साधारण रूपों के खंड 6, 7 और 8 के अधीन या नीलाम बिक्रयों की शर्तों के खंड (2)(ख) और (ग) के अधीन ऐसे मांग नोटिसों की दशा में, जिनमें क्रेताओं से, पूर्ति और अवन महानिदेशालय द्वारा की गई किसी कार्रवाई या किए गए किसी विलंब के अधीन किसी हानि या पुनर्विक्रय भाड़े या किसी अन्य कारण से क्रेताओं से वसूलनीय या उनसे द्वारा संदेय कोई धनराशि सरकार को संदेय करने का अनुरोध किया गया है, अवन निदेशक या उप निदेशक द्वारा ; और पूर्ति और अवन महानिदेशालय द्वारा सामान के क्रय और पूर्ति के लिए की गई संविदाओं और पूर्ति आदेशों के उपयुक्त सम्यक्रम पंजाटों के निबंधनों के अनुसार तथा ऐसी संविदाओं और पूर्ति आदेशों के उपयुक्त न्यायालय की डिक्रियों और निबंधनों के अनुसार भी वसूली या संदेय के लिए मांग नोटिसों की दशा में, पूर्ति निदेशक, उप निदेशक या सहायक निदेशक या अनुभाग अधिकारी द्वारा ; या

(14) केन्द्रीय सरकार लेखा (मानियों और संदाय) नियम, 1983 के अधीन विनिर्दिष्ट प्रपत्र जी ए आर 12, 26 और 47 में क्षति पूर्ति निर्धारों / संदायों और पुन मांग देय ब्याज के बदले में नए मांग देय ब्याज जारी करने के लिए क्षतिपूर्ति बंध पत्र की दशा में, भारत सरकार (कार्य - आवंटन) नियम, 1961 की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट मंत्रालयों, विभागों, सचिवालयों और कार्यालयों में और इन नियमों की अनुसूची के खंड 1 में विनिर्दिष्ट विभागों, निदेशालयों, आयोगों, बोर्डों, कार्यालयों या संगठनों में कार्यालय प्रधान के रूप में घोषित किसी अधिकारी द्वारा ; या

(15) डाक विभाग के संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों की दशा में, उस विभाग में ज्येष्ठ उप महानिदेशक, उप महानिदेशक, निदेशक, सहायक महानिदेशक, मुख्य इंजीनियर या सचिव, डाक सेवा बोर्ड द्वारा ; या

(16) दूर संचार विभाग से संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों की दशा में, उस विभाग में किसी सहायकार, ज्येष्ठ उप महानिदेशक, उपमहानिदेशक, निदेशक, अतिरिक्त जिला सहायकार, उप सेक्टर सहायकार, सहायक सेक्टर सहायकार, सहायक महानिदेशक, मुख्य इंजीनियर, मुख्य कृष्णुचिव या सचिव, दूर संचार आयोग द्वारा ; या

(17) उस विभाग के गजेटियर यूनिक के संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों की दशा में, सम्पादक (गजेटियर) द्वारा और भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार से संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों की दशा में, महानिदेशक, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा ; या

(18) खान मंत्रालय (जिस खंड) से संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों की दशा में, मंत्रालय में जिला सहायकार, अपर जिला सहायकार, उप जिला सहायकार या सहायक जिला सहायकार द्वारा ; या

(19) पर्यावरण और वन मंत्रालय जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय वनीकरण और पारिस्थितिकीय विकास बोर्ड और राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय भी हैं, से संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों की दशा में, मंत्रालय में किसी उप अपर - महानिदेशक, उप उपमहानिदेशक, उप सहायक महानिदेशक, विज्ञानविद् "एस डी", विज्ञानविद् "एस डी", विज्ञानविद् "एस एस", विज्ञानविद् "एस जी",विज्ञानविद् "जी", विज्ञानविद् "एस" और मंत्रालय के समूह जीव खंड में संयुक्त निदेशक, या उप निदेशक द्वारा ; या

(20) विदेश मंत्रालय से संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों की दशा में, उस मंत्रालय में किसी अवर या प्रशासनिक अधिकारी द्वारा ; या

(21) आर्थिक कार्य विभाग से संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों की दशा में, उस विभाग के किसी निदेशक (स्टोक एक्सचेंज), संयुक्त निदेशक (स्टोक एक्सचेंज), ज्येष्ठ लेखा अधिकारी या किसी लेखा अधिकारी द्वारा ; या

(22) आर्थिक कार्य विभाग में मुद्रा और सिक्का प्रभाग से संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों की दशा में, उस प्रभाग के किसी विशेष अधिकारी (मुद्रा और सिक्का) या किसी उपप्रबंधक द्वारा ; या

(23) व्यय विभाग में लेखा महा नियंत्रक के संगठन से संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों की दशा में, उस संगठन के महालेखा नियंत्रक, अपर महालेखा नियंत्रक, संयुक्त महालेखा नियंत्रक, उप महालेखा नियंत्रक या सहायक महालेखा नियंत्रक द्वारा ; या

(24) राजस्व विभाग में कर प्रावधन प्रभाग एक (निर्यात) स्कीम, 1965 (अधिसूचना सं0 3(1)/65-टीसीसी(सं), साधारणनि0 1183, तारीख 27 अगस्त, 1965 द्वारा प्रकाशित) से संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों की दशा में, उक्त स्कीम के पैरा 4 के अधीन नियुक्त कर प्रावध एवं निदेशक(निर्यात) या किसी सहायक कर प्रावध निदेशक(निर्यात) द्वारा या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड के किसी निदेशक द्वारा या केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के किसी निदेशक द्वारा ; या

(25) भविष्य निधि से जिस पेंशनीय जीवन बीमा की ऐसी पालिसियों को सम्पुष्टीकरणों के, जिन्हें भारत के राष्ट्रपति के पास में सम्पुष्टीकृत किया गया है, लागत्तर की दशा में, निधि के संबंधित नियमों में उक्त परिसीमित निधि के लेखा अधिकारी द्वारा ; या

(26) माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग के संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों की दशा में, उक्त विभाग के किसी संयुक्त शिक्षा सलाहकार, अपर शिक्षा सलाहकार, उप शिक्षा सलाहकार, सहायक शिक्षा सलाहकार, शिक्षा अधिकारी, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक, अनुशासन अधिकारी, प्रतिनियोजित मुख्य अधिकारी और विशेष अधिकारी (पुस्तक संचयी) द्वारा ; या

(27) कृषिगाही शिक्षा और सर्वसाक्षरता विभाग के संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों की दशा में, उक्त विभाग के उप शिक्षा सलाहकार, सहायक शिक्षा सलाहकार, शिक्षा अधिकारी और उप निदेशक द्वारा ; या

(28) परिवार कल्याण विभाग के संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों की दशा में, उक्त विभाग के उप निदेशक (विपणन) या उप निदेशक (प्रदाय) द्वारा ; या

(29) गृह मंत्रालय के संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों की दशा में, उक्त मंत्रालय के उप सिव सलाहकार या उप महा निदेशक (प्रदाय) और सहायक निदेशक (प्रदाय) द्वारा और सचिवालय सुरक्षा संगठन, जिसके अंतर्गत सशस्त्र पल भी है, से संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों की दशा में, उक्त मंत्रालय के मुख्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा ; या

(30) सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों की दशा में, उक्त मंत्रालय के निदेशक, संयुक्त निदेशक (प्रकाशन) और उप निदेशक द्वारा ; या

(31) कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय के संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों की दशा में, उक्त विभाग के निदेशक (औद्योगिक सहकारी समितियां और सचयन) या उप निदेशक/अवर सचिव (औद्योगिक सहकारिता और सचयन) द्वारा ; या

(32) श्रम मंत्रालय के संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों की दशा में, उक्त मंत्रालय के श्रम और नियोजन सलाहकार या संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक (बाल और महिला श्रम) या संयुक्त निदेशक (श्रम संबंध) या सहायक निदेशक, श्रम संबंध प्रभाग (राष्ट्रीय श्रम आयोग सिंध) द्वारा ; या

(33) एकसिवर तथा अवरोधक आयातित सामग्री अधिनियम, 1959 (1959 का 54) की धारा 43 से संबंधित आदेशों की दशा में, कोयली कार्य विभाग के अन्वेषण और निरीक्षण निदेशक द्वारा ; या

(34) संविधान के अधीन या किसी केन्द्रीय अधिनियम के अधीन जारी किए गए किसी आदेश, नियम, विनियम या उपविधि के हिन्दी में प्रामाणिक पाठ की दशा में, जहां ऐसा पाठ भाग के राजपत्र के भाग 2 के खंड 3क में प्रकाशित किया जाता है, सिवि, न्याय और कोयली कार्य मंत्रालय के सिवाय सिवि विभाग के राजभाषा खंड के संयुक्त सचिव और सिवाय पदनामी, किसी अपर सिवाय पदनामी, किसी उप सिवाय पदनामी या किसी सहायक सिवाय पदनामी द्वारा ; या

(35) संविधान में विनिर्दिष्ट (हिन्दी के सिवा) किसी भाषा में प्राधिकृत अनुवाद या संविधान के अधीन अथवा किसी केन्द्रीय अधिनियम के अधीन जारी किए गए किसी आदेश, नियम, विनियम या उपविधि की दशा में, जहां ऐसा अनुवाद भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है,तिथि, न्याय और अपनी कार्य मंत्रालय के विधायी विभाग के राजभाषा खंड की (संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी) किसी अपर विधायी परामर्शी, किसी उप विधायी परामर्शी या किसी सहायक विधायी परामर्शी द्वारा ; या

(36) योजना आयोग से संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों की दशा में, उस आयोग के सलाहकार (स्टाफ) द्वारा ; या

(37) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग से संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों की दशा में, उस विभाग के मुख्य सत्यापन अधिकारी या कीपर निदेशक द्वारा ; या

(38) रेल मंत्रालय से संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों की दशा में, किसी सचिव, किसी अपर सचिव, किसी संयुक्त सचिव, किसी उप सचिव या किसी अवर सचिव द्वारा या रेल बोर्ड के किसी अपर सदस्य, सलाहकार, कार्यपालक निदेशक, निदेशक, संयुक्त निदेशक या किसी उप निदेशक द्वारा ; या

(39) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित संयुक्तियों की दशा में, उस मंत्रालय के किसी विज्ञानविद् 'ख', विज्ञानविद् 'ग', विज्ञानविद् 'घ' , विज्ञानविद् 'ङ' या विज्ञानविद् 'च' द्वारा ; या

(40) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के प्रौद्योगिकी अंतरण प्रभाग से संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों की दशा में, किसी ऐसे विज्ञानविद् 'ख', विज्ञानविद् 'ग', विज्ञानविद् 'घ' जो ओषधि और बैक्टिरिया अनुसंधान कार्यशाला से संबंधित है, द्वारा ; या

(41) गैर-परंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय से संबंधित संयुक्तियों की दशा में, उस मंत्रालय के सलाहकार, निदेशक (तकनीकी), प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी और ज्येष्ठ वैज्ञानिक तकनीकी सेवा-1 द्वारा ; या

(42) अंतरिक्ष विभाग से संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों की दशा में, उस विभाग के विशेष कार्य अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी द्वारा ; या

(43) शहरी विकास और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय की प्रशासनिक कार्यकारी इकाई से संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों की दशा में, उस इकाई के किसी सहायक कार्यकारी अधिकारी द्वारा ; या

(44) जल संसाधन मंत्रालय से संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों की दशा में, उस विभाग में पूर्वी नदियां स्वयं में शाखा अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे भारत सरकार के अवर सचिव द्वारा ; या

(45) भारत निर्वाचन आयोग से संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों की दशा में, उस आयोग के सचिव या अवर सचिव द्वारा ; या

(46) संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित आदेशों और अन्य लिखतों की दशा में, उस आयोग के सचिव, प्रशासन के भारसाधक उप सचिव या प्रशासन के भारसाधक अवर सचिव द्वारा ;

"अनुसूची"

(नियम 2 (4)देखिए)

ऐसे प्राधिकारी जो आदेशों और अन्य लिखतों को अधिप्रमाणित कर सकेंगे:-

विभाग/निदेशालय आयोग, बोर्ड, कार्यालय या संगठन का नाम	प्राधिकारी
1	2
कृषि मंत्रालय	
पशु पालन और डेयरी विभाग	भारत के महानिदेशक
भारतीय मानक ब्यूरो	
परमाणु ऊर्जा विभाग	
(1) भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र	अध्यक्ष, कार्मिक प्रभाग
(2) परमाणु खनिज प्रभाग	मुख्य प्रशासनिक और लेखा अधिकारी
(3) उच्च प्रौद्योगिकी केन्द्र	मुख्य प्रशासनिक और लेखा अधिकारी
(4) परिवर्तनशील ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केन्द्र	प्रशासनिक अधिकारी - 3
(5) इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
(6) हैवी वाटर बोर्ड	निदेशक (कार्मिक/प्रशासन)
(7) नाभिकीय ईंधन सम्मालेखा	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
(8) परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड	प्रशासनिक अधिकारी - 3
(9) लेखा और भंडारण निदेशालय	प्रशासनिक अधिकारी - 3
(10) विशिष्ट और सामान्यीकृत प्रौद्योगिकी बोर्ड	प्रशासनिक अधिकारी - 3
(11) कार्मिक सेवा और सामग्री प्रबंधन निदेशालय	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
(12) साधारण सेवा संगठन, कालपक्कम	प्रशासनिक अधिकारी - 3
परमाणु ऊर्जा आयोग	सचिव
नागर विमानन मंत्रालय	
नागर विमानन महानिदेशालय	उप निदेशक प्रशासन
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	
1. सर्वेक्षण निदेशालय	मुख्य निदेशक (सर्वेक्षण)/निदेशक (सर्वेक्षण तकनीकी)/ निदेशक (सर्वेक्षण नियंत्रण)/ संयुक्त सचिव (लागत)

2. वनस्पति, खाद्य तेल और वस्त्र निदेशालय	मुख्य निदेशक (वनस्पति)
संस्कृति मंत्रालय	
1. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण	निदेशक (प्रशासन)
2. राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता	निदेशक /प्रधान पुस्तकालय और सूचना अधिकारी
खेल मंत्रालय	
(1) संयुक्त सचिव और मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	संयुक्त सचिव और मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निदेशक/उप मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
(2) नौ सेना परियोजना	महानिदेशक
(3) वैमानिक विनियम और पत्तन	निदेशक/सहायक निदेशक
(4) राष्ट्रीय कैडेट कोर	उप महा निदेशक (सामैनिक और वित्त/निदेशक (सामैनिक))
(5) सेना मुख्यालय	सेना सचिव / अपर सेना सचिव / उप सेना सचिव /सामैनिक सेना सचिव / सहायक सेना सचिव / संगठन और सामैनिक महानिदेशक /सामैनिक सेना अपर महानिदेशक
(6) नौ सेना मुख्यालय	सामैनिक निदेशक /उप निदेशक सामैनिक सेना निदेशक/ उप निदेशक
(7) वायुसेना मुख्यालय	सामैनिक अधिकार निदेशक / उपनिदेशक / सहायक निदेशक
(8) नगर और संचार परियोजना कार्यालय	जिलाधिकार अधिकार
(9) सेना संघ्य महानिदेशालय	महानिदेशक/ अपर महानिदेशक/ सहायक महानिदेशक
(10). सेना क्रय संगठन	क्रय मुख्य निदेशक / उप क्रय मुख्य निदेशक / सहायक मुख्य क्रय निदेशक / अनुसंधान अधिकारी
(11) सहायक बल चिकित्सा सेवा महानिदेशक	
(i) सेना चिकित्सा कोर और सेना चिकित्सा कोर (रैंक एकसौवीं) अधिकार	उपमहानिदेशक
(12) चिकित्सा सेवा महानिदेशक (सेना)	
(i) सैन्य नर्सिंग सेवा अधिकार	अपर महानिदेशक सैन्य नर्सिंग सेवा
(ii)सैन्य दंत कोर अधिकार	निदेशक, दंत सेवा
(iii) यूनिवर्स अफिसर अधिकार / सेना चिकित्सा कोर के अन्य सैन्य/सेना दंत कोर	निदेशक चिकित्सा सेवा (शिक्षण और समन्वय)
13. अस्त्र प्रयोग और पशु चिकित्सा कोर महानिदेशक	अस्त्रक प्रयोग और पशु चिकित्सा कोर के अपर महानिदेशक
खेल अनुसंधान और विकास विभाग	
खेल अनुसंधान और विकास संगठन	निदेशक सामैनिक/ उप निदेशक सामैनिक/ सहायक निदेशक सामैनिक

खा उत्पादन और आपूर्ति	
1. योजना और समन्वय निदेशालय	निदेशक (योजना और समन्वय)/उप योजना अधिकारी (समन्वय)
2. आर्डनेंस कारखाना	महानिदेशक (आर्डनेंस कारखाना) / अपर महानिदेशक (कारख आर्डनेंस कारखाना बोर्ड)/ उप महानिदेशक / संयुक्त निदेशक
3. प्रकाशीकी विकास और उत्पादन (सालू) निदेशालय	निदेशक या संयुक्त निदेशक (प्रशासन) या सहायक निदेशक (प्रशासन)
खा मंत्रालय (वित्त)	
खा सेवा विभाग	अपर महानिदेशक / उप महानिदेशक
वित्त मंत्रालय	
राजस्व विभाग	
1. प्रशासन निदेशालय	विशेष निदेशक/ अपर निदेशक / उप निदेशक / सहायक निदेशक / वरिष्ठ वित्तकार
2. अग्रिम विनियम प्राधिकारी	आयकर आयुक्त/अपर आयकर आयुक्त / उप आयकर आयुक्त
3. आयकर संवेदक आयोग	अध्यक्ष / सचिव
4. स्थापक ओषधि नियंत्रण ब्यूरो	उप विधि वित्तकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	
स्वास्थ्य विभाग	
महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं	निदेशक (प्रशासन और कार्यवाही)/उप निदेशक (प्रशासन)
गृह मंत्रालय	
1. आयुध्यन ब्यूरो	गुप्तचरा कार्यालय में की संयुक्त निदेशक /उपनिदेशक /संयुक्त उप निदेशक /सहायक निदेशक/ संयुक्त सहायक निदेशक
2. सीमा सुरक्षा बल	गुप्तचरा कार्यालय में की उप निदेशक / अपर उप महानिदेशक / सहायक निदेशक
3. केन्द्रीय आरक्षित पुलिस बल	महानिदेशक /अपर महानिदेशक/महानिदेशक / विशेष सलाहकार / उप निदेशक / उप वित्तीय सलाहकार /सहायक निदेशक /संयुक्त सहायक निदेशक/ उपसहायक निदेशक
4. भारत - तिब्बत सीमा पुलिस	महानिदेशक /महानिदेशक पुलिस / उपमहानिदेशक/कमांडेंट (पदाति)/अन्य प्रशासनिक अधिकारी
5. केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल	महानिदेशक / महानिदेशक पुलिस/ उप महानिदेशक पुलिस / सहायक महानिदेशक / अन्य प्रशासनिक अधिकारी
6. राष्ट्रीय पुलिस अकादमी	उप निदेशक (प्रशासन)
7. समन्वय निदेशालय (पुलिस बेतार)	अपर निदेशक
8. पुलिस वरिष्ठ सचिवालय	सचिवालय के गुप्तचारा में के निदेशक/ उप सचिव
9. अवर सचिवालय	महानिदेशक/उप महानिदेशक / निदेशक /उप निदेशक / सहायक निदेशक / संयुक्त सहायक निदेशक / उप सहायक निदेशक

10. राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड	उप महानिदेशक (प्रशासन)
11. भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय	दूर कमांडेंट (मुख्यालय) भारत का महारजिस्ट्रार / संयुक्त महारजिस्ट्रार/ उप महारजिस्ट्रार / संयुक्त निदेशक/ उप निदेशक
12. प्रवासगमन प्रशासन निदेशालय	निदेशक जनगणना प्रशासन / संयुक्त निदेशक जनगणना प्रशासन / उपनिदेशक जनगणना प्रशासन / सहायक निदेशक जनगणना प्रशासन
13. पुरातत्व विभाग	प्रथम अधिकारी
14. विशेष सेवा ब्यूरो	मुख्यालय में सी संयुक्त निदेशक/ महानिदेशक पुलिस, उपनिदेशक / उप महानिदेशक, संयुक्त उप निदेशक / सहायक निदेशक
15. पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो	महानिदेशक, निदेशक, उप निदेशक, सहायक निदेशक, संयुक्त सहायक निदेशक
गायन संचालन विकास मंत्रालय	
महिला और बाल विकास विभाग	
खाद्य और पोषाहार बोर्ड	राजभाषा सलाहकार / क्षेत्रीय उप राजभाषा सलाहकार
युवा कार्य और खेल मंत्रालय	
राष्ट्रीय सेवा स्कीम	निदेशक/कार्यक्रम सलाहकार/क्षेत्रीय अधिकारी/ अनुभाग अधिकारी/ विभागाध्यक्ष या भारत सरकार (कार्य - आवंटन) नियम, 1961 की नवमी अनुसूची में विनिर्दिष्ट मंत्रालयों/ विभागों (स्वविवेकवर्ती) कार्यालयों की कार्यपालिका के रूप में घोषित किसी अधिकारी द्वारा और गुरु भाग देय ऋण के बराबर में गए ऋण जारी करने के लिए अधिसूचित संस्थाओं की दशा में केन्द्रीय सरकार सेवा (अधिकार और संरक्षण) नियम, 1983 की अनेक विनिर्दिष्ट प्रपत्र जी ए आर 12, 26 और 47 में विनिर्दिष्ट नियमों/अधिसूचित संस्थाओं की दशा में इन नियमों की अनुसूची के खंड 1 में विनिर्दिष्ट विभाग / निदेशालय आदि / बोर्ड / कार्यालय / संगठन के कार्यपालिका प्रमुख ।
लघु उद्योग मंत्रालय	
1. विकास आयुक्त लघु उद्योग का कार्यालय	विकास आयुक्त, संयुक्त विकास आयुक्त, मुख्यालय कार्यालय में सी निदेशक (प्रशासन) और उप निदेशक (प्रशासन)
2. आर्थिक सलाहकार का कार्यालय	आर्थिक सलाहकार और उप आर्थिक सलाहकार
3. औद्योगिक लागत और कीमत ब्यूरो	वरिष्ठ/ निदेशक की रेंक में का कोई अधिकारी
4. नमक आयुक्त का कार्यालय, जयपुर	नमक आयुक्त, उप नमक आयुक्त और सहायक नमक आयुक्त
5. मुद्रा विश्लेषक निदेशक का कार्यालय, नागपुर	मुद्रा विश्लेषक निदेशक, ज्येष्ठ संयुक्त मुद्रा विश्लेषक निदेशक, संयुक्त मुद्रा विश्लेषक निदेशक और उप मुद्रा विश्लेषक निदेशक
सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	
(क) गायनीकलन परीक्षण और क्वालिटी प्रमाणन निदेशालय	महानिदेशक, (गायनीकलन परीक्षण और क्वालिटी निदेशक) संयुक्त निदेशक, उपनिदेशक
(i) इलैक्ट्रानिक क्षेत्रीय परीक्षण प्रयोगशालाएं	निदेशक, संयुक्त निदेशक, उपनिदेशक
(ii) इलैक्ट्रानिक परीक्षण और विकास केन्द्र	निदेशक, संयुक्त निदेशक, उपनिदेशक

(iii) विश्वसनीयता केन्द्र	निदेशक, संयुक्त निदेशक, उपनिदेशक
(ख) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र	निदेशक, संयुक्त निदेशक, सहायक निदेशक
<u>वित्त न्याय और संसदीय कार्य मंत्रालय</u>	
<u>वित्तीय विभाग</u>	
राजभाषा खंड	संयुक्त सचिव और वित्तीय परामर्शी
<u>श्रम मंत्रालय</u>	
श्रम महानिदेशालय	महानिदेशक / संयुक्त सचिव / उपसचिव/अवर सचिव/वेतन अधिकारी
<u>कोयला और खान मंत्रालय</u>	
1. भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण	अध्यक्ष का महानिदेशक/उप महानिदेशक/निदेशक/संयोजित प्रशासनिक अधिकारी/अध्यक्ष प्रशासनिक अधिकारी
2. भारतीय खान ब्यूरो	महानिदेशक/खान निदेशक (अभ्यस्त)/मुख्य खान निदेशक /निदेशक (क्षेत्रवार ब्यूरो)/कार्यालयाध्यक्ष
<u>कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग</u>	
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो	उप निदेशक (प्रशासन)/ प्रशासनिक अधिकारी/ सहायक निदेशक (स्थापना)
<u>विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय</u>	
<u>विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग</u>	
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग	उप महानिदेशक मौसम विज्ञान (प्रशासन और भंडार)
<u>सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय</u>	
1. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग	अवर सचिव
2. राष्ट्रीय अल्प संख्यक आयोग	अवर सचिव
<u>अंतरिक्ष विभाग</u>	
अंतरिक्ष आयोग	सचिव
<u>शुल्क विभाग</u>	
पूर्ति और भंडार महानिदेशालय	निदेशक (प्रशासन) उप निदेशक
<u>सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय</u>	
1. सड़क सुरक्षा	उप निदेशक (सड़क सुरक्षा)
2. समुद्री विकास	लेखा अधिकारी (समुद्री विकास)
<u>वस्त्र मंत्रालय</u>	
1. विकास आयुक्त (हस्तशिल्प)	विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) / निदेशक (विपणन)
2. वस्त्र आयुक्त का कार्यालय	संयुक्त वस्त्र आयुक्त
3. विकास आयुक्त (हथकरघा) का कार्यालय	उप विकास आयुक्त
4. जूट आयुक्त का कार्यालय	उप जूट आयुक्त
<u>शहरी विकास और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय</u>	

शहरी विकास विभाग	
1. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग	निदेशक/उपनिदेशक (प्रशासन)
2. मुद्रण निदेशालय	संयुक्त निदेशक (प्रशासन)
3. संपदा निदेशालय	मुख्यालय, शाखा और नीति प्रकोष्ठ के भार वाहक
	संपदा उप निदेशक
4. राजन और शहरी योजना संगठन	मुख्य योजनाकार
5. भूमि और विकास कार्यालय	भूमि और विकास अधिकारी/ उप भूमि और विकास अधिकारी / सहायक संप्रेक्षक अनुभाग
जल संसाधन मंत्रालय केन्द्रीय जल आयोग	मुख्यालय स्थित मानव संसाधन खंड में से सचिव (केन्द्रीय जल आयोग)/निदेशक/अवर सचिव/ उपनिदेशक

नई दिल्ली

तारीख 16 जनवरी, 2002

के. आर. नारायणन,
राष्ट्रपति।

[सं. 23/1/94-पत्रिका]

यशवंत राय, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS,

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th February, 2002

S. O. 211(E).—The following Order made by the President on 16-01-2002 is published for general information.

ORDER

In exercise of the powers conferred by clause (2) of article 77 of the Constitution and in supersession of the Authentication (Orders and other Instruments) Rules, 1958, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President is pleased to make the following rules, namely:-

(1) These rules may be called the Authentication (Orders and other Instruments) Rules, 2002.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official gazette. All Orders and other instruments made and executed in the name of the President shall be authenticated -

(1) by the signature of a Secretary, Special Secretary, Additional Secretary, Joint Secretary, Director, Deputy Secretary, or Under Secretary to the Government of India ; or

(2) by the signature of a Director or Desk Officer in the Ministries, Departments, Secretariats and Offices specified in the First Schedule to the Government of India(Allocation of Business) Rules, 1961; or

(3) by the signature of a Head of a Department as defined in the Delegation of Financial Powers Rules, 1978, other than a Head of Department in any Union Territory ; or

(4) in the case of orders and other instruments relating to a Department, Directorate, Commission, Board, Office or an Organisation, specified in column 1 of the Schedule to these rules, by an officer specified against that Department, Directorate, Commission, Board, Office or Organisation in column 2 of the said Schedule; or

(5) in the case of orders and other instruments relating to the President's Secretariat, by the Secretary to the President, Joint Secretary to the President, the Military Secretary to the President, a Director, a Deputy Secretary or an Under Secretary in the President's Secretariat; or

(6) in the case of orders and other instruments relating to the Secretariat of the Vice-President, by the Secretary, Deputy Secretary, under Secretary in the Vice-President's Secretariat; or

(7) in the case of orders and other instruments relating to the Prime Minister's Office, by the Principal Secretary, Secretary, Joint Secretary, Director, Officer on Special Duty, Deputy Secretary or the Under Secretary in that Office; or

(8) in the case of orders and other instruments relating to the Cabinet Secretariat, by the Cabinet Secretary, Secretary (Co-ordination), Additional Secretary, Joint Secretary, Director, Deputy Secretary, Under Secretary or Deputy Director (Official Language).

(9) in the case of orders and other instruments relating to the Fertiliser Division of the Department of Agriculture and Co-operation of the Ministry of Agriculture by the Deputy Commissioner (Fertiliser) in that Division; or

(10) in the case of sanctions relating to the Department of Biotechnology, by the Advisor, Director (Scientific), Principal Scientific Officer or Senior Scientific Officer Grade-I in that Department; or

(11) in the case of orders and other instruments relating to the Movement and Import Division of the Department of Fertilizers, Ministry of Chemicals and Fertilizers& by the Deputy Commissioner (Port Operations & Projects) and Deputy Commissioner (Movement) in the Fertiliser Division of that Department and in the case of those relating to the Accounts Wing of the Fertiliser Accounts Wing of the Department of Fertilisers, by the Deputy Director of Accounts in that Wing; or

(12) in the case of orders and other instruments relating to the Directorate General of Foreign Trade, by the Director General of Foreign Trade, or the Additional Director General of Foreign Trade or the Export Commissioner or Joint Director General of Foreign Trade; or

(13) in the case of demand notices under clauses 6,7 and 8 of the General conditions of Contract as contained in Form Contract 117 or under clauses (2)(d) and (8) the conditions of Auction Sales specified under Schedule III of the Auctioneering Contract requesting purchasers to pay to the Government any sum of money recoverable from or payable by purchasers on account of either loss or resale or for any other reason under a contract or sale entered into by the Directorate General of Supplies and Disposals, by a Director or a Deputy Director of Disposals; and in the case of demand notices for recovery or payment in terms of Arbitration Awards arising out of the contracts and supply orders placed by the Directorate General of Supplies and Disposals for purchase and supply of Stores and also in terms of court decrees arising out of such contracts and supply orders or otherwise, by a Director, a Deputy Director or an Assistant Director or a Section Officer of Supplies; or

(14) in the case of deeds/bonds of indemnity in Forms GAR 12, 26 and 47 specified under the Central Government Account (Receipts and Payments) Rules, 1983 and indemnity bond for issue of fresh demand draft in lieu of lost demand draft, by an officer declared as Head of Office in the Ministries, Departments, Secretariats and Offices specified in the First Schedule to the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961 and Departments, Directorates, Commissions, Boards, Offices or Organisations specified in column 1 of the Schedule to these rules; or

(15) in the case of orders and other instruments relating to the Department of Posts, by a Senior Deputy Director General, a Deputy Director General, a Director, an Assistant Director General, a Chief Engineer or the Secretary, Postal Services Board in that Department; or

(16) in the case of orders and other instruments relating to the Department of Telecommunication, by an Adviser, a Senior Deputy Director General, a Deputy Director General, a Director, an Internal Financial Advisor, a Deputy Wireless Advisor, an Assistant Wireless Advisor, an Assistant Director General, a Chief Engineer, a Chief Architect or the Secretary, Telecom Commission in that Department; or

(17) in the case of orders and other instruments relating to the Gazetters Union of that Department, by the Editor (Gazetters)and in the case of orders and other instruments relating to the National Archives of India, by the Director General of National Archives of India; or

(18) in the case of orders and other instruments relating to the Ministry of Defence (Finance Division) , by a Financial Advisor, Additional Financial Advisor, Deputy Financial Advisor or Assistant Financial Advisor in the Ministry; or

(19) in the case of orders and other instruments relating to the Ministry of Environment and Forests including National Afforestation and Eco-Development Board and National River Conservation Directorate, by an Additional Inspector General of Forests, Deputy Inspector General of Forests, Assistant Inspector General of Forests, Scientist 'SE', Scientist 'SF', Scientist 'SD', Scientist 'SC', Scientist 'H'and by a Joint Director, or Deputy Director in the Wildlife Division of the Ministry; or

(20) in the case of orders and other instruments relating to the Ministry of External Affairs, by an Attache or an Administrative officer in that Ministry; or

(21) in the case of orders and other instrumenpp to relating to the Department of Economic Affairs, by a Director (Stock Exchange), Joint Director (Stock Exchange), Senior Accounts Officer or an Accounts Officer in that Department; or

(22) in the case of orders and other instruments relating to the Currency and Coinage Division in the Department of Economic Affairs, by a Special Officer(Currency & Coinage) or a Deputy Manager in that Division; or

(23) in the case of orders and other instruments relating to the Organisation of the Controller General of Accounts in the Department of Expenditure by the Controller General of Accounts, Additional Controller General of Accounts, Joint Controller General of Accounts, the Deputy Controller General of Accounts or the Assistant Controller General of Accounts in that Organisation; or

(24) in the case of orders and other instruments relating to the Tax Credit Certificate (Exports) Scheme, 1965 (published vide notification No.3(1)/65-TCC(E) vide GSR 1183, dated the 17th August, 1965) in the Department of Revenue, by a Deputy Director of Tax Credit (Exports) or an Assistant Director of Tax Credit (Exports) appointed under paragraph 4 of the said Scheme, or by a Director in the Central Board of Excise and Customs, or by a Director in the Central Board of Direct Taxes; or

(25) in the case of cancellation of assignments of policies of life assurance, financed from a Provident Fund, which have been assigned in favour of the President of India, by the Accounts Officer of the Fund as defined in the Rules relating to the Fund; or

(26) in the case of orders and other instruments relating to the Department of Secondary and Higher Education by a Joint Educational Advisor, Additional Apprenticeship Advisor, Deputy Educational Advisor, Assistant Educational Advisor, Education Officer, Joint Director, Deputy Director, Licensing Officer, Copyright Information Officer and Special Officer(Book Promotion) in that Department; or

(27) in the case of orders and other instruments relating to Department of Elementary Education and Literacy by the Deputy Education Advisor, Assistant Educational Advisor, Education Officer and Deputy Director in that Department; or

(28) in the case of orders and other instruments relating to the Department of Family Welfare, by the Deputy Director (Marketing), or Deputy Director (Supply) of that Department; or

(29) in the case of orders and other instruments relating to the Ministry of Home Affairs, by a Deputy Financial Advisor or Deputy Director General (Supplies) and Assistant Director (Supplies) and in the case of orders and other instruments relating to the Secretariat Security Organisation including Reception Wing, by the Chief Security Officer in that Ministry; or

(30) in the case of orders and other instruments relating to the Ministry of Information Technology by the Director, the Joint Director (Administration) and Deputy Director in that Ministry; or

(31) in the case of orders and other instruments relating to the Ministry of Agro and Rural Industries, by the Director (Industrial Co-operatives and Co-ordination) or the Deputy Director/Under Secretary (Industrial Co-operatives and Co-ordination) in that Department; or

(32) in the case of orders and other instruments relating to the Ministry of Labour by the Labour and Employment Adviser or Joint Director/Deputy Director (Child and Women Labour) or Joint Director (Labour Relations) or Assistant Director in the Labour Relations Division (National Commission on Labour Wing) of that Ministry; or

(33) in the case of orders relating to section 43 of Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 (54 of 1969), by the Director of Investigation and Inspection in the Department of Company Affairs; or

(34) in the case of authoritative text in Hindi of any order, rule, regulation or bye-law issued under the Constitution or under any Central Act where such text is published in Section 3A of Part II of the Gazette of India, by the Joint Secretary and Legislative Counsel, an Additional Legislative Counsel, a Deputy Legislative Counsel or an Assistant Legislative Counsel, Official Languages Wing, Legislative Department, Ministry of Law, Justice and Company Affairs; or

(35) in the case of authoritative translation in any language (other than Hindi) specified in the Constitution, or any order, rule, regulation or bye-law issued under the Constitution or under any Central Act, where such translation is published in the Gazette of India, by Joint Secretary and Legislative

Counsel, an Additional Legislative Counsel, a Deputy Legislative Counsel or an Assistant Legislative Counsel, Official Languages Wing, Legislative Department, Ministry of Law, Justice and Company Affairs; or

(36) in the case of orders and other instruments relating to the Planning Commission, by the Advisor (Administration) in that Commission; or

(37) in the case of orders and other instruments relating to the Department of Personnel and Training by the Chief Welfare Officer or the Director of Canteens in that Department; or

(38) in the case of orders and other instruments relating to the Ministry of Railways, by a Secretary, an Additional Secretary, a Joint Secretary, a Deputy Secretary or an Under Secretary to, or by a/an Additional Member, Advisor, Executive Director, Director, Joint Director, or a Deputy Director, of the Railway Board; or

(39) in the case of sanctions relating to the Ministry of Science and Technology by a Scientist 'G', Scientist 'F', Scientist 'E', Scientist 'D', or Scientist 'C' in that Ministry; or

(40) in the case of orders and other instruments relating to Technology Transfer Division of Department of Science & Technology, by a Scientist-D, Scientist-F or Scientist-G dealing with Drugs & Pharmaceuticals Research Programme; or

(41) in the case of sanctions relating to the Ministry of Non-conventional Energy Sources, by the Adviser, Director(Technical), Principal Scientific Officer and Senior Scientific Officer Grade-I in that Ministry; or

(42) in the case of orders and other instruments relating to the Department of Space, by the Officer on Special Duty or Administrative Officer in that Department; or

(43) in the case of orders and other instruments relating to the Administrative Vigilance Unit in the Ministry of Urban Development and Poverty Alleviation, by an Assistant Vigilance Officer in that Unit; or

(44) in the case of orders and other instruments relating to the Ministry of Water Resources, by the Under Secretary to the Government of India functioning as Branch Officer in the Eastern Rivers Wing in that Department; or

(45) in the case of orders and other instruments relating to the Election Commission of India, by the Secretary or Under Secretary in that Commission; or

(46) in the case of orders and other instruments relating to the Union Public Service Commission, by the Secretary, the Deputy Secretary-in-charge of Administration or the Under Secretary-in-charge of Administration in the office of that Commission;

" SCHEDULE"

(See rule 2 (4))

Authorities who may authenticate orders and other Instruments:-

Name of the Department/Directorate Commission, Board, Office or an Organisation 1.	Officer 2.
MINISTRY OF AGRICULTURE	
Department of Animal Husbandary and Dairying Fishery Survey of India	Director General of India
DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY	
(1) Bhabha Atomic Research Centre	Head, Personnel Division
(2) Atomic Minerals Division	Chief Administrative and Accounts Officer.
(3) Centre for Advanced Technology	Chief Administrative and Accounts Officer.
(4) Variable Energy Cyclotron Centre	Administrative Officer-III.
(5) Indira Gandhi Centre for Atomic Research	Chief Administrative Officer
(6) Heavy Water Board	Director (Personnel/Administration).
(7) Nuclear Fuel Complex	Chief Administrative Officer
(8) Atomic Energy Regulatory Board	Administrative Officer-III.
(9) Directorate of Purchase and Stores	Administrative Officer-III.
(10) Board of Radiation and Isotope Technology	Administrative Officer-III.
(11) Directorate of Construction Service and Estate Management	Chief Administrative Officer.
(12) General Services Organisation, Kalpakkam	Administrative officer-III.
Atomic Energy Commission	Secretary
MINISTRY OF CIVIL AVIATION	
Directorate General of Civil Aviation	Deputy Director of Administration.

5 4444/97—3

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

Department of Food and Public Distribution

(1) Directorate of Sugar	Chief Director (Sugar)/Director (Sugar Technical)/ Director(Sugar Control)/ Joint Director (Cost).
(2) Directorate of Vanaspati, Vegetable Oils and Fats	Chief Director (Vanaspati).

MINISTRY OF CULTURE

(1) Archaeological Survey of India	Director (Administration).
(2) National Library, Calcutta	Director/Principal Library and Information Officer

MINISTRY OF DEFENCE

(1) Joint Secretary and Chief Administrative Officer	Joint Secretary and Chief Administrative Officer/Director/ Deputy Chief Administrative Officer
(2) Naval Project	Director General
(3) Military Regulations and Forms	Director/Assistant Director.
(4) National Cadet Corps	Deputy Director General (Personnel and Finance)/ Director(Personnel).
(5) Army Headquarters	Military Secretary/ Additional Military Secretary/ Deputy Military Secretary/Colonel Military Secretary /Assistant Military Secretary/ Director General of Organisation and Personnel/Additional Director General of Personnel Services.
(6) Naval Headquarters	Director/Deputy Director of Personnel, Director/ Deputy Director of Personnel Services.

(7) Air Force Headquarters	Director/Deputy Director/Assistant Director of Personnel(Officers).
(8) Radar and Communications Project Office	Systems Officer.
(9) Directorate General of Defence Estates	Director General/ Additional Director General/Assistant Director General.
(10) Army Purchase Organisation	Chief Director of Purchase/Deputy Chief Director of Purchase/ Assistant Chief Director of Purchase/ Section Officer.
(11) Director General Armed Forces Medical Services.	
(i) Army Medical Corps and Army Medical Corps(Non-Technical) Officers	Deputy Director General.
(12) Director General Medical Services (Army)	
(i) Military Nursing Service Officers	Additional Director General Military Nursing Service.
(ii) Army Dental Corps Officers	Director, Dental Services.
(iii) Junior Commissioned Officers/Other Ranks of Army Medical Corps/ Army Dental Corps	Director, Medical Services (Training and Coordination)
(13) Director General of Remount and Veterinary Corps	Additional Director General of Remount and Veterinary Corps
DEPARTMENT OF DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT	
Defence Research and Development Organisation	Director of Personnel/Deputy Director of Personnel/Assistant Director of Personnel.
DEPARTMENT OF DEFENCE PRODUCTION AND SUPPLIES	
(1) Directorate of Planning and Coordination	Director (Planning and Co-ordination)/ Deputy Planning Officer (Co-ordination).

(2) Ordnance Factories	Director General (Ordnance Factory)/Additional Director General (Member Ordnance Factory Board) /Deputy Director General/ Joint Director.
(3) Directorate of Technical Development and Production (Air)	Director or Joint Director (Administration) or Assistant Director (Administration)
MINISTRY OF DEFENCE (FINANCE)	
Defence Accounts Department	Additional Controller General/ Deputy Controller General.
MINISTRY OF FINANCE Department of Revenue	
(1) Enforcement Directorate	Special Director/ Additional Director/ Deputy Director/ Assistant Director/ Deputy Legal Advisor
(2) Authority for Advance Rulings	Commissioner of Income-Tax/Additional Commissioner of Income Tax/ Deputy Commissioner of Income-Tax.
(3) Income-Tax Settlement Commission	Chairman/Secretary.
(4) Narcotics Control Bureau	Deputy Legal Advisor
M/O HEALTH &FAMILT WELFARE	
DEPARTMENT OF HEALTH	
Directorate General of Health Services	Director(Administration and Vigilance)/ Deputy Director (Administration).
MINISTRY OF HOME AFFAIRS	
(1) Intelligence Bureau	Joint Director/ Deputy Director/ Joint Deputy Director/Assistant Director/Joint Assistant Director in the Headquarters Office.

(2) Border Security Force	Deputy Director/ Additional Deputy Inspector General/ Assistant Director in the Headquarters Office.
(3) Central Reserve Police Force	Director General Additional Director General/Inspector General/Financial Advisor/Deputy Director/ Deputy Financial Advisor/Assistant Director/Joint Assistant Director/Deputy Assistant Director.
(4) Indo-Tibetan Border Police	Director General/ Inspector General of Police/Deputy Inspector General/Commandant (Staff)/Senior Administrative Officer.
(5) Central Industrial Security Force	Director General/ Inspector General of Police/Deputy Inspector General of Police/ Assistant Inspector General /Senior Administrative Officer.
(6) National Police Academy	Deputy Director (Administration)
(7) Directorate of Coordination (Police Wireless)	Additional Director
(8) North Eastern Council Secretariat	Director/Deputy Secretary at the Headquarters of the Secretariat.
(9) Assam Rifles	Director General/ Deputy Director General/Director/ Deputy Director/ Assistant Director/Joint Assistant Director/Deputy Assistant Director.
(10) National Security Guard	Deputy Inspector General (Administration) Group Commandant (Establishment).

(11) Office of the Registrar General, India.	Registrar General, India/Joint Registrar General/ Deputy Registrar General/Joint Director /Deputy Director.
(12) Directorate of Census Operations	Director of Census Operations/Joint Director of Census Operations/Deputy Director of Census Operations/Assistant Director of Census Operations.
(13) Rehabilitation Division	Managing Officer
(14) Special Service Bureau	Joint Director/Inspector General of Police,Deputy Director/Deputy Inspector General,Joint Deputy Director/Assistant Director in the Headquarters.
(15) Bureau of Police Research & Development	Director General, Director, Deputy Director, Assistant Director, Joint Assistant Director

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

Department of Women and Child Development

Food and Nutrition Board	Technical Advisor/ Regional Deputy Technical Advisor

Ministry of Youth Affairs and Sports

National Service Scheme	Director/Programme Advisor/Desk Officer/ Section Officer/Head of the Department or By an officer declared as Head of office in the Ministries/Departments/ Secretariats/Offices specified in the First Scheduled to the Govt. of India(Allocation of Business)Rules, 1961 and Departments/Directorates/ Commissions/Boards/ Offices/organisations specified in column 1 of the Schedule to these rules in case of deeds/indemnity bonds in Forms GAR 12,26 & 47 specified under the Central Government Accounts (Receipts & Payments)

	Rules 1983 & indemnity bond for issue of fresh draft in lieu of lost demand draft.

MINISTRY OF SMALL SCALE INDUSTRIES

(1) Office of the Development Commissioner, Small Scale Industries	Development Commissioner, Joint Development Commissioner, Director (Administration) and Deputy Director(Administration) in the Headquarters Office.
(2) Office of Economic Advisor	Additional Economic Advisor and Deputy Economic Advisor.
(3) Bureau of Industrial Costs and Prices	Secretary/Any officer in the rank of Director
(4) Office of the Salt Commissioner, Jaipur	Salt Commissioner, Deputy Salt Commissioner and Assistant Salt Commissioner.
(5) Office of Chief Controller of Explosives, Nagpur	Chief Controller of Explosives, Senior Joint Chief Controller of Explosives, Joint Chief Controller of Explosives and Deputy Chief Controller of Explosives.

MINISTRY OF INFORMATION TECHNOLOGY

(a) Standardisation Testing & Quality Certification (STQC) Directorate	Director General(Standardisation Testing and Quality Control), Joint Director, Deputy Director
(i) Electronics Regional Test Laboratories	Director, Joint Director, Deputy Director.
(ii) Electronics Test and Development Centres	Director,Joint Director Deputy Director.
(iii) Centre for Reliability	Director,Joint Director, Deputy Director.

(b) National Informatics Centre	Director, Joint Director, Deputy Director.
MINISTRY OF LAW JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS Legislative Department	
Official Languages Wing	Joint Secretary and Legislative Counsel
MINISTRY OF LABOUR	
Directorate General of Labour	Director General/ Joint Secretary/ Deputy Secretary/ Under Secretary/ Desk Officer.
MINISTRY OF COAL & MINES	
(1) Geological Survey of India	Senior Deputy Director General/Deputy Director General/ Director/Regional Administrative Officer/Senior Administrative Officer.
(2) Indian Bureau of Mines	Controller General/ Controller of Mines (Co-ordination)/Chief Controller of Mines/ Director(Ore-Dressing)/ Head of Office.
DEPARTMENT OF PERSONNEL AND TRAINING	
Central Bureau of Investigation	Deputy Director (Administration)/ Administrative Officer/Assistant Director (Establishment)
MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Department of Science and Technology	
India Meteorological Department	Deputy Director General of Meteorology (Administration and stores)
MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT	
(1) National Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes.	Under Secretary.
(2) National Commission for Minorities	Under Secretary.

DEPARTMENT OF SPACE

Space Commission	Secretary

DEPARTMENT OF COMMERCE

Directorate General of Supplies and Disposals	Director(Administation), Deputy Director

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(1)Road Safety	Deputy Director (Road Safety).
(2)Marine Development	Account Officer (Marine Development).

MINISTRY OF TEXTILES

(1) Office of the Development Commissioner (Handicrafts)	Development Commissioner (Handicrafts)/ Director(Marketing)
(2) Office of Textile Commissioner	Joint Textile Commissioner.
(3) Office of Development Commissioner (Handlooms)	Deputy Development Commissioner.
(4) Office of the Jute Commissioner	Deputy Jute Commissioner.

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT AND POVERTY ALLEVIATION

DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT

(1)Central Public Works Department	Director/Deputy Director(Administration)
(2)Directorate of Printing	Joint Director (Administration)
(3)Directorate of Estates	Deputy Directors of Estate incharge of Litigation, Markets and Policy cell.
(4)Town and Country Planning Organisation	Chief Planner.
(5)Land and Development Office	Land and Development Officer/Deputy Land and Development Officer/Assistant Settlement Commissioner.

MINISTRY OF WATER RESOURCES

Central Water Commission

Secretary (Central Water Commission)/Director/Under Secretary/Deputy Director in the Human Resources Wing at the Headquarters

New Delhi
Dated : 16th January, 2002

K. R. NARAYANAN,
PRESIDENT.

[No. 23/1/94-Public]

YASHWANT RAJ, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 48] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 19, 2006/पौष 29, 1927

No. 48] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 19, 2006/PAUSA 29, 1927

नू० मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जनवरी, 2006

सा.नि. 52 (अ).— संविधान के अनुच्छेद 77 के खंड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति अधिनियमन (संशोधन और अन्य विविध) विनियमनी, 2002 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

1. (i) ये नियम अधिनियमन (संशोधन और अन्य विविध) संशोधन विनियमनी, 2005 कहलाएंगे।

(ii) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. अधिनियमन (संशोधन और अन्य विविध) विनियमनी, 2002 के नियम 2 में :—

(i) धारा (44) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :—

"(44) संसदीय मंत्रालय के संबंध में मंत्रियों और अन्य विधायकों के मामले में विधान के ईंधार विधायिनी संघ में सत्ता अधिकारी के रूप में कार्यरत भारत सरकार का अन्य सचिव, और वरिष्ठ संयुक्त सचिव/संयुक्त सचिव, निदेशक (उपस्कर), वरिष्ठ संयुक्त सचिव (कृषि विभाग), संयुक्त सचिव (पशुधन/कृषि ईकोनोमिक्स विभाग), निदेशक/संयुक्त निदेशक (अधिकारी), उप निदेशक (अधिकारी), उप सचिव, उप निदेशक (उपस्कर), उप निदेशक (कृषि अर्थशास्त्र); अथवा"

(ii) धारा (47) शामिल की जाए और संख्या निम्नानुसार पढ़ा जाए :—

"(47) नू०-संसाधन, ग्रामीण विकास मंत्रालय (केवल भूमि विकास प्रभाग) के संबंध में मंत्रियों और विधायकों के मामले में उस विभाग में उप महानिदेशक (पद), उप सलाहकार (अधिकारी), सहायक महानिदेशक (पद), उप आयुक्त अथवा वैज्ञानिक (डी.ई) द्वारा।"

ह०/-

आ. र. वै. अमृतम यादव, राष्ट्रपति ।

[सं. 23/01/2005-परिषद]

चन्द्रमोहन दत्त, संयुक्त सचिव (प्रशासन)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

ORDER

New Delhi, the 18th January, 2006

S.O. 52(E).—In exercise of the powers conferred by clause (2) of article 77 of the Constitution, the President is pleased to make the following rules to amend the Authentication (Orders & other Instruments) Rules, 2002 namely :—

1. (i) These rules may be called the Authentication (Orders & other Instruments) Amendment Rules, 2005.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule 2 of the Authentication (Orders & other Instruments) Rules, 2002 :—

(i) Section (44) may be substituted by the following :—

"In the case of orders and other instruments relating to the Ministry of Water Resources, by the Under Secretary to the Government of India functioning as Branch Officer in the Eastern Rivers Wing in that Department; and by Senior Joint Commissioner/Joint Commissioner, Director (Official Language), Senior Joint Commissioner (Agricultural Discipline), Joint Commissioner (Soils/Agricultural Engineering/Agronomy), Director/Joint Director (Statistics), Deputy Director (Statistics), Deputy Commissioner, Deputy Director (Official Language), Deputy Director (Agricultural Economics), or"

(ii) Section (47) may be inserted to read as :—

"(47) in the case of orders and other instruments relating to the Department of Land Resources, Ministry of Rural Development (Wasteland Development Division) by the Dy. Inspector General (Forests), Dy. Adviser (Forestry), Asst. Inspector General (Forests), Deputy Commissioner or Scientist (TE) in that Department."

Sd/-

A. P. J. ABDUL KALAM, PRESIDENT

[No. 23/01/2005-Public]

YASHWANT RAI, Jt. Secy. (Admn.)

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 945] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 25, 2006/भाद्र 3, 1928
No. 945] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 25, 2006/BHADRA 3, 1928

गृह मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 2006

का.आ. 1358(अ).—संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति अधिप्रमाणन (आदेश और अन्य लिखत) नियम, 2002 में आगे और संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (i) ये नियम अधिप्रमाणन (आदेश और अन्य लिखत) संशोधन नियम, 2006 कहलाएंगे।

(ii) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. अधिप्रमाणन (आदेश और अन्य लिखत) नियम, 2002 के नियम 2 में निम्नवत पश्चात्‌वर्ती एक नई मद (48) जोड़ी जाए :—

"(48) केन्द्र निदेशकों (केन्द्रों के प्रभारी), केन्द्र प्रमुख, निदेशक-प्रशासन सचिव (स्थापना), निदेशक (प्रशासन) और उप निदेशक (प्रशासन) द्वारा राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन (एनटीआरओ) से सम्बन्धित आदेशों और अन्य लिखतों के मामले में"।

(ए.पी.जे. अब्दुल कलाम)
राष्ट्रपति

[सं. 23/1/2006-पब्लिक]

यशवन्त राज, संयुक्त सचिव (प्रशा.)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

ORDER

New Delhi, the 25th August, 2006

S.O. 1358(E).—In exercise of the powers conferred by clause (2) of article 77 of the Constitution of India, the President is pleased to make the following rules to further amend the *Authentication (Orders and other Instruments) Rules, 2002* namely :—

1. (i) These rules may be called the Authentication (Orders and other Instruments) Amendment Rules, 2006.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule 2 of the Authentication (Orders and other Instruments) Rules, 2002, a new section (48) may be inserted to read as :—

"(48) in the case of orders and other instruments relating to the National Technical Research Organisation (NTRO) by the Centre Directors (Incharge of Centres), Centre Heads, Director/Deputy Secretary (Establishment), Director (Administration) and Deputy Director (Administration)".

(A.P.J. Abdul Kalam)
President

[No. 23/1/2006-Public]

YASHWANT RAJ, R. Secy. (Adm.)

2604 GI/2006

Printed by the Manager, Govt. of India Press, King Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1434] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 9, 2009/भाद्र 18, 1931
No. 1434] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 9, 2009/BHADRA 18, 1931

गृह मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 2009

का.आ. 2295(अ).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत की राष्ट्रपति, अधिप्रमाणन (आदेश और अन्य लिखत) नियम, 2002 (अधिप्रमाणन (आदेश और अन्य लिखत) संशोधन नियमावली, 2005 के द्वारा 18 जनवरी, 2006 तथा अधिप्रमाणन (आदेश और अन्य लिखत) संशोधन नियम, 2006 के द्वारा 25 अगस्त, 2006 को संशोधित) को पूर्व, संशोधित करती हैं :—

"अधिप्रमाणन (आदेश और अन्य लिखत) नियम, 2002 की अनुसूची में रक्षा मंत्रालय, रक्षा लेखा विभाग से संबंधित प्रविष्टि में निम्नानुसार संशोधन किया जाए है :

विद्यमान प्रविष्टि	नियम के द्वारा प्रतिस्थापित की जाने है
अपर महानियंत्रक/ उप-महानियंत्रक	रक्षा लेखा के संयुक्त महानियंत्रक/रक्षा लेखा के वरिष्ठ उप-महानियंत्रक/रक्षा लेखा के उप महानियंत्रक

2. अधिप्रमाणन (आदेश और अन्य लिखत) नियम, 2002 में उपर्युक्त संशोधन के बाद इसे अधिप्रमाणन (आदेश और अन्य लिखत) संशोधन नियमावली, 2009 कहा जाएगा।

3. ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

ह./-
प्रतिभा देवीसिंह पाटिल, राष्ट्रपति।"

नई दिल्ली
दिनांक : 9 सितम्बर, 2009

[फा. सं. 23/1/2009-पत्रिका]
आर. पी. नाथ, संयुक्त सचिव (प्रशासन)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

ORDER

New Delhi, the 9th September, 2009

S.O. 2295(E).—In exercise of powers conferred by clause (2) of Article 77 of the Constitution of India, the President of India is pleased to further amend the Authentication (Orders and other Instruments) Rules, 2002 [amended on January 18, 2006 *vide* Authentication (Orders and other Instruments) Amendment Rules, 2005 and on August 25, 2006 *vide* Authentication (Orders and other Instruments) Amendment Rules, 2006] —

"In the Schedule to the Authentication (Orders and other instruments) Rules, 2002, the entry pertaining to Ministry of Defence, Defence Accounts Department to be amended as follows :

Existing entry	To be substituted by
Additional Controller General/Deputy Controller General	Joint Controller General of Defence Accounts/Sr. Deputy Controller General of Defence Accounts/Deputy Controller General of Defence Accounts

2. The above amendment to the Authentication (Orders and other Instruments) Rules, 2002 may be called the Authentication (Orders and others Instruments) Amendment Rules, 2009.

3. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

Sd/-
PRATIBHA DEVISINGH PATIL, PRESIDENT."

New Delhi
Dated : 9th September, 2009

[F. No. 23/1/2009-Public]
R. P. NATH, Jt. Secy. (Admn.)

3298 GI/2009

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1580] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 2, 2010/श्रावण 11, 1932
No. 1580] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 2, 2010/SHRAVANA 11, 1932

गृह मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 2 अगस्त, 2010

का.आ. 1887(अ).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत की राष्ट्रपति, अधिग्रहणन (आदेश और अन्य विधिक्त) नियम, 2002 (अधिग्रहणन (आदेश और अन्य विधिक्त) संशोधन नियम, 2005 के द्वारा 18 नवम्बर, 2006 और अधिग्रहणन (आदेश और अन्य विधिक्त) संशोधन नियम, 2006 के द्वारा 25 अगस्त, 2006 को संशोधित तथा अधिग्रहणन (आदेश और अन्य विधिक्त) संशोधन नियम, 2009 के द्वारा 9 सितम्बर, 2009 को संशोधित] को आगे और संशोधित करती हैं :—

अधिग्रहणन (आदेश और अन्य विधिक्त) नियम, 2002 की अनुसूची में योजना और समन्वय निदेशालय, रसा उत्पादन विभाग, रसा मंत्रालय से संबंधित प्रविष्टि में निम्नानुसार संशोधन किया जाए है:—

वर्तमान प्रविष्टि	
रसा उत्पादन और आपूर्ति विभाग	
योजना और समन्वय निदेशालय	निदेशक (योजना और समन्वय)/उप योजना अधिकारी (समन्वय)

के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए

रसा उत्पादन विभाग	
योजना और समन्वय निदेशालय	निदेशक (योजना और समन्वय)/उप निदेशक (प्रशासन और समन्वय)

2. अधिग्रहणन (आदेश और अन्य विधिक्त) नियम, 2002 में उपर्युक्त संशोधन के अधिग्रहणन (आदेश और अन्य विधिक्त) संशोधन नियम, 2010 कहा जाएगा।

3. ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रभृत होंगे।

ह./-
(प्रतिभा देवीसिंह पाटील),
राष्ट्रपति

नई दिल्ली
दिनांक: अगस्त 2, 2010

[फा. सं. 23/1/2010-पलिक]
आर. पी. नाथ, संयुक्त सचिव (प्रशासन)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

ORDER

New Delhi, the 2nd August, 2010

S.O. 1887(E).—In exercise of powers conferred by clause (2) of article 77 of the Constitution of India, the President of India is pleased to further amend the Authentication (Orders and other Instruments) Rules, 2002 [amended on January, 18, 2006 *vide* Authentication (Orders and other Instruments) Amendment Rules, 2005 and on August 25, 2006 *vide* Authentication (Orders and other Instruments) Amendment Rules, 2006 and on September, 9, 2009 *vide* Authentication (Orders and other Instruments) Amendment Rules, 2009] :—

In the Schedule to the Authentication (Orders and other Instruments) Rules, 2002 the entry pertaining to Directorate of Planning and Coordination, Department of Defence Production, Ministry of Defence to be amended as follows :—

Existing entry	
Department of Defence Production and Supplies	
Directorate of Planning and Coordination	Director (Planning and Coordination)/Deputy Planning Officer (Coordination).
To be substituted by	
Department of Defence Production	
Directorate of Planning and Coordination	Director (Planning and Coordination)/Deputy Director (Admn. & Coordination).

2. The above amendment to the Authentication (Orders and other Instruments) Rules, 2002 may be called the Authentication (Orders and other Instruments) Amendment Rules, 2010.

3. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

Sd/-
(PRATIBHA DEVISINGH PATIL),
President

New Delhi
Dated : August 2, 2010

[F. No. 23/1/2010-Public]
R. P. NATH, Jt. Secy. (Admn.)

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.